बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक– 19.02.2026

संचिका संख्या–03/आ01–122/2022.I/367516/श्री जगतपति चौधरी, तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोसी प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध जिलाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक– 539 दिनांक 26.09.2022 द्वारा प्रतिवेदन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध कराया गया।

2. सक्षम प्राधिकार के आदेश से श्री जगतपति चौधरी को विभागीय संकल्प सं0–696 दिनांक 25.11.2022 द्वारा निलंबित किया गया तथा अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

3. श्री जगतपति चौधरी के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया गया, जिसमें अंतर्विष्ट आरोप निम्नवत् हैं–

i. श्री सुबोध कुमार यादव, सहायक शिक्षक के लिखित आवेदन पर भाड़ा के नाम पर गाड़ी लेकर हड़पने के मामले में थाना पूर्णिया में प्राथमिकी सं.– 337/98 दिनांक 17.08.1998 धारा 406/420/467 भा.द.वि. के तहत दर्ज होना।

ii. श्री चौधरी, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्णियाँके विरूद्ध जी.आर.नं.– 1873/98 में माननीय न्यायालय द्वारा 20.12.2005 गैर जमानती वारंट निर्गत, जमानत नहीं किये जाने पर सम्पति का कुर्की जप्ती का आदेश, 20.12.2005 से 01.04.2007 तक फरार रहे एवं उक्त अवधि का वेतन प्राप्त किए जो कानूनन उल्लंघन एवं आपराधिक कृत है।

iii. आपराधिक मामला दर्ज होना, सुपौल जिला में 21 तालिमी मरकज शिक्षा सेवकों के बर्खास्तगी के बावजूद 45 माह मानदेय का अवैध भुगतान कर सरकारी राशि का दुरूपयोग करना।

iv. 22 शिक्षक स्वयं सेवकों को अपने कार्यालय पत्रांक –112 दिनांक 31.05.2018 के द्वारा सभी को मानदेय देना।

v. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा के पत्रांक– 969 दिनांक 30.06.2022 द्वारा 10 लिपिक एवं ज्ञापांक– 970 दिनांक 30.06.2022 द्वारा 12 लिपिक कुल 22 लिपिकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन लिपिक का सेवा शर्त नियमावली, 2019 एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा परित न्यायादेश का उल्लंघन कर करना।

vi. एक ही लिपिक को दो कार्यालय में प्रतिनियुक्ति करना।

vii. लिपिक राम कुमार मंडल की पत्नी संजु मंडल, सामाजिक कार्यकर्त्ता के परिवाद पर प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल सहरसा के आदेश पर प्रतिक्रिया प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश।

viii. जातिगत भावना से प्रेरित होकर प्रतिनियोजन करना।

ix. 34540 कोटि के सहायक शिक्षकों का सहरसा जिलान्तर्गत फर्जी प्रमाण पत्र के आधार नियुक्ति संबंधी परिवाद पर जिला शिक्षा पदाधिकारी सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन पर निदेशक (प्रा०शि०) को 7 माह बीत जाने के बावजूद मंतव्य उपलब्ध नहीं कराना।

x. गृह जिला में पदस्थापन होने के कारण समाज में जातीय गुटबाजी, विद्यालय का शैक्षणिक माहौल चौपट होने एवं विभाग का छवि धुमिल करने का आरोप।

xi. तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा के पदस्थापन काल में कनीय शिक्षक/प्राईवेट शिक्षक/नियोजित शिक्षक को केन्द्राधीक्षक बनाना।

xii. उपस्थिति पंजी में छेड़छाड़ करने, नवपदस्थापित प्रधानाध्यापक, श्री मनोरंजन रजक, ब.आ.मा. वि., चकला निर्मली, सुपौल को प्रभार दिलवाये बगैर श्री रजक द्वारा तत्संबंधी 20.00 लाख रूपये गबन

घोटाला का पर्दाफास करने के कारण उन्हें गैर कानूनी तरीके से निलंबित कर मूल विद्यालय से हटाना।

xiii. गैर कानूनी तरीके से करोड़ों रूपये अर्जनकर्त्ता विनय यादव के विरूद्ध परिवाद/आपराधिक मामलों में साक्ष्य को विनष्ट करवाकर न्यायालय से बरी करवाने, सरकारी ईटा चोरी होने, सरकारी राशि का फर्जी विपत्र के आधार पर गबन करने का आरोप।

दिनांक 29.11.2022 को गठित पूरक आरोप पत्र में अंकित आरोप निम्नवत्त हैं :–

xiv. स्वयं के प्रतिवेदन पर खुद कार्रवाई की गयी एवं एतद् संबंध में याचित बचाव बयान मौखिक एवं लिखित रूप से मांगी गयी, जिसका उत्तर भी श्री जगतपति चौधरी, तत्का० जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नहीं दिया जाना, निश्चय ही यह उनकी स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति का द्योतक एवं लोक सेवक के आचरण के प्रतिकूल है।

xv. श्री कुंदन कुमार, लिपिक के प्रतिनियुक्ति के बिन्दु पर संज्ञान में आने के बाद भी कार्रवाई नहीं किया जाना स्पष्टतः नियम विरूद्ध कार्रवाई करने एवं स्वेच्छारिता का द्योतक है।

xvi. नियोजित शिक्षकों को केन्द्राधीक्षक बनाना, महिला परीक्षा केन्द्र पर पुरुष केन्द्राधीक्षक/पर्यवेक्षक, इनविजिलेटर की प्रतिनियुक्ति आदि श्री चौधरी के प्रशासकीय अक्षमता एवं संवेदनहीन आचरण का परिचायक है।

xvii. एक लोक सेवक के आचरण के सर्वथा प्रतिकूल आचरण किया जाना एवं अनुशासनहीनता बरतना।

4. प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय ज्ञापांक संख्या–707 दिनांक 29.11.2022 द्वारा श्री जगतपति चौधरी से बचाव अभिकथन की मांग की गयी।

5. विभागीय संकल्प संख्या–16 दिनांक 10.01.2023 द्वारा श्री चौधरी के दिनांक 30.11.2022 को वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति के फलस्वरुप सेवानिवृति तिथि 30.11.2022 के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया।

6. श्री चौधरी के विरूद्ध संकल्प संख्या–415, दिनांक 05.08.2023 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी.) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में कतिपय आरोप को प्रमाणित/आंशिक प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

7. उक्त आंशिक प्रमाणित आरोप पर विभागीय पत्रांक–314681 दिनांक 31.10.2025 द्वारा श्री चौधरी से लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी, जो विचारण तक अप्राप्त रहा जिससे यह विनिश्चित हुआ कि इन्हें उपर्युक्त प्रमाणित आरोप के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

8. बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (बी.) में अंकित है कि "यदि न्यायिक या विभागीय कार्यवाही से कोई सरकारी सेवक घोर कदाचार का दोषी साबित हो अथवा सरकारी सेवक के सेवाकाल या पुनर्नियुक्ति की अवधि में उसकी उपेक्षा धोखे से राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुँची हैं, तो राज्य सरकार उस सरकारी सेवक के पेंशन से उस हानि की पूरी या आंशिक क्षति की राशि वसूल कर सकती है।" जो आरोप संख्या–06 आंशिक रूप से प्रमाणित बतलाया गया है, वह एक ही लिपिक को दो कार्यालय में प्रतिनियुक्त करना, पहले प्रतिनियुक्ति फिर सशर्त वापस करने के संबंध में है, जिसमें संचालन पदाधिकारी का मंतव्य निष्कर्षित है कि लिपिकों की कमी के कारण कार्यहित में निर्णय लिया

गया है तथा आरोप आंशिक रुप से प्रमाणित होता है। इस मामले में वित्तीय अनियमितता तथा गंभीर कदाचार का कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है, परंतु स्वेच्छाचारी रूप से नियम विरूद्ध कार्रवाई करने का आरोप अंशतः प्रमाणित होने के साक्ष्य एवं प्रतिवेदन है।

9. अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा श्री जगतपति चौधरी के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (ख) के अंतर्गत "पेंशन से 01 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत की राशि की कटौती" की शास्ति विनिश्चित करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गई।

10. बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–4582 दिनांक–13.02.2026 द्वारा श्री जगतपति चौधरी, तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोसी प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध उपर्युक्त विनिश्चित शास्ति पर सहमति प्रदान की गई है।

11. अतः उपर्युक्त प्रमाणित आरोप के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री जगतपति चौधरी, तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोसी प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है–

"पेंशन से 01 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत की राशि की कटौती"।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

ह0/–
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांकः–03/आ01–122/2022.....I/367516...../ पटना, दिनांकः–19.02.2026

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/ महालेखाकार, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/राज्य परियोजना निदेशक/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य टेक्सट बुक कॉरपोरेशन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना/सचिव, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/विशेष निदेशक (मा0शि0)/सभी उप निदेशक/सभी संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं श्री जगतपति चौधरी, तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोसी प्रमंडल, सहरसा सम्प्रति सेवानिवृत्त पता– ग्रा0– महिषी, पो0–महिषी, थाना–महिषी, जिला–सहरसा, बिहार, पिन–852216 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
Date: 19-02-2026 13:33:53
निदेशक (प्रशासन)